पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) रांची–3–10 / 2016 :–

**झारखण्ड सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

## आदेश

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची के पत्रांक 13744 दिनांक 21.12.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं0 06 / 16 दिनांक 15.12.2016 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, पिता–स्व0 राम प्रसाद मंडल, स्थायी पता–ग्राम+पो0–कालीप्रसाद, थाना–पिरपैती, जिला–भागलपुर, वर्तमान पता–फ्लैटसं0 202 लव अपार्टमेंट, रोड नं. 2, हवाईनगर थाना जगन्नाथपुर जिला–रांची, कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल सं0–01, चक्रधरपुर, जिला–चाईबासा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के धावा दल द्वारा एक लाख रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दिनांक 16.12. 2016 को गिरफ्तार कर दिनांक 17.12.2016 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री मंडल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 17.12.2016 के प्रभाव से झारखंड सेवा संहिता के नियम–99 के तहत निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री मंडल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 96 राँची / दिनांक 09-01-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची / संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड,रांची / श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, निलंबित कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.17
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S(N)_Gra_30_2011_(Jay Kishor Choudhary).docx